



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

05/02/24

--: विज्ञप्ती :-

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के मानदण्डानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से आवश्यकता रहने तक अध्यापन सत्रांत तक जो भी पूर्ववर्ती हो उसके लिये नितांत अस्थाई आधार पर निम्नांकित विषयों में विजिटिंग विद्वानों की आवश्यकता है। आवेदन दिनांक 13/02/2024 दोपहर 1 बजे तक कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम से संबंधित अध्ययनशाला को प्रेषित करें।

आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। आवेदन के साथ 500/- (अशरी रुपये पाँच सौ) मात्र का आवेदन शुल्क डी.डी. जो कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के पक्ष में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रक्रम में किसी भी परिस्थिति में कुलसचिव का आदेश अन्तिम रूप से प्रभावी एवं मान्य होगा।

क्र.	विषय	अनुमानित आवश्यकता	अध्ययनशाला
1	धर्मशास्त्र का इतिहास (हिन्दू, जैन, बौद्ध धर्म एवं दर्शन)	01	भारत अध्ययन केंद्र

निदेशक
भारत अध्ययन केंद्र
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

VIKRAM UNIVERSITY, UJJAIN
APPLICATION
FOR CONSIDERATION AS VISITING SCHOLAR SESSION: 2023-24

1. Subject for which application is being submitted

2. Name and Date of Birth


3. Father's/Husband's Name

4. Mailing Postal Address

5. Phone No./Mobile Phone No.

6. E-Mail ID

7. Educational Qualification (From X & class and on words)



S.No.	Qualification	Pass Year	Pass % (Grade)	Board University	Institute College
-------	---------------	-----------	-------------------	---------------------	----------------------

1. X Class

2. XII Class

3. Graduation

4. Post Graduation

5. M.Phil.

6. Ph.D.

7. NET

8. SIAT

9. JRF/SRF

10. Others

8. Details of work experience (Designation, Employer, Duration etc)

(a)

(b)

(c)

(d)

9. Details of Research Publications:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

**10. Details of Participation in workshops/seminars/symposiums/Refresher course/orientation course/
other academic events. (Attach Details if any)**

11. Any other Relevant Information:

Place:

Date:

(Signature)

Name:

Address:

सामान्य निर्देश

1. संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं म.प्र. शासन अनुसार रहेगी।
2. विजिटिंग विद्वान किसी भी देशियता से विश्वविद्यालय स्थापना के अनारगत नहीं माने जाएंगे।
3. विजिटिंग विद्वानों का आमंत्रण पाठ्यक्रम में आवश्यकता रहने तक अथवा संज्ञात तक जो भी पूर्वकीर्ती हो, अवधि के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
4. विजिटिंग विद्वानों के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उनके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विद्यमान नहीं है। इसके लिए विजिटिंग विद्वान को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विद्यमान नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र परतुत करने के बाद ही उसको व्याह्वान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
5. विजिटिंग विद्वान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एक साथ दो शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेंगे।
6. इस आदेश के अनुसार आमंत्रण की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के निर्देशों के अध्याधीन होगी।
7. किसी भी स्थिति में नियमित पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण विजिटिंग विद्वान को अर्थरत नहीं रखा जाएगा।

अर्हता मानदण्ड :

प्रथम शरीयता का श्रेणी क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. संबंधित विषय में पीएच.डी. एवं नेट/सेट
2. संबंधित विषय में पीएच.डी. अथवा नेट/सेट
3. संबंधित विषय में एम.फिल.
4. न्यूनतम अर्हता वाले आवेदक (स्नातकोत्तर योग्यताधारी)

टीप : 1 एवं 2 में आवेदक उपलब्ध न होने पर ही 3 व 4 के आवेदकों पर विचार किया जाएगा।

8. अनुभव हेतु अंक :— विजिटिंग विद्वानों को शरीयता देने के लिए उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव के किये गये अध्यापन कार्य के लिए देय अधिभार अंकों को जोड़कर गणना में लिया जाएगा। ये अंक आवेदक विजिटिंग विद्वान द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर दर्ज किये जाएंगे, जिन्हें असत्य पाए जाने पर कार्यरत नहीं कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिए जोड़ा जाएगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि विभाग विश्वविद्यालय में किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा। यह अधिभार अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव के लिए 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक सत्र में 151 से 220 कालखण्ड में मध्य चार अंक एवं 151-100 कालखण्ड के मध्य तीन अंक 51 से 100 कालखण्ड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा।
9. समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (द्वितीय तंत्र छोड़कर) शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार नि:शक्तजन अभ्यर्थियों को भी स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।
10. मेरिट अंको की गणना : स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जाएगा तथा अधिभार जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, अनुसूचित जाति का है, नि:शक्तजन भी है एवं 5 वर्ष का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होंगे : स्नातकोत्तर-75 अंक, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिकार 7.5, नि:शक्तजन के लिए अधिकार-7.5, अनुभव का अधिभार-20 कुल अंक = 60+40 अंक सामाजिक-कुल 100 अंको के आधार पर मेरिट बनाई जावेगी।

11. परीक्षा का निर्धारण : सर्वप्रथम बिन्दु 7 के अनुसार मूल श्रेणी की परीक्षा मान्य होगी अर्थात् श्रेणी 1 के विजिटिंग विद्वान को सर्वोच्च परीक्षा होगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आय वाले विजिटिंग विद्वान को परीक्षा दी जाएगी। मेरिट का निर्धारण 100 अंकों से होगा।
12. विजिटिंग विद्वानों की आमंत्रण पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।
13. अध्यापन कार्य करने वाले विद्वानों को प्रति कालांश 500/- का मानदेय दिया जाएगा। इनकी कार्य अवधि पाठ्यक्रम में आवश्यकता रहने अथवा सत्रना एक जो भी पूर्ववर्ती हो रहेगी एवं उपस्थिति तथा संतोषप्रद कार्य करने पर प्रतिमाह निम्नानुसार मानदेय दिया जाएगा:- (पाठ्यक्रम आवश्यकतानुसार प्रति कालांश रु. 500/- एक कार्य दिवस में अधिकतम रु. 1500)
मानदेय की गणना की विधि :
कुल मानदेय = संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति कालांशों की संख्या 500/- प्रति कालांश
एक से अधिक कालांश अध्यापन करने वाले विद्वान को न्यूनतम 05 घण्टे संबंधित विभाग, अध्ययनशाखा संस्थान में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा एवं अध्यापन कार्य के अतिरिक्त विभाग प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य विभागीय कार्य सम्पन्न करना आवश्यक होगा।
14. विश्वविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत विजिटिंग विद्वान यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जायेगा।
15. विजिटिंग विद्वान को सतत अनुसरण बनाए रखना होगा तथा अध्ययनशाखा के विभागाध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. विजिटिंग विद्वानों द्वारा सम्पूर्ण सत्र में किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों की विभिन्न विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के अर्जित अंकों विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन एवं विभाग प्रमुख के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
17. अध्ययनशाखा में आमंत्रित विजिटिंग विद्वानों के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संभालना रखेंगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।
18. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ विभाग प्रमुख के निर्देशानुसार प्रसारावलीय कार्य, अकादमिक एवं पाठ्येतरकार्यों तथा प्रवेश, परीक्षा छात्रों से संबंधित कार्य, योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा सत्सव आदि में विजिटिंग विद्वान सहयोग प्रदान करेंगे।
19. अध्यापन कार्य करने वाले एवं एक कालांश से अधिक विजिटिंग विद्वानों को विभाग में प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घण्टे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। विजिटिंग विद्वानों द्वारा प्रतिसप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, रेगुलर क्लासरोम आदि में भी शिक्षण कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है। विभागाध्यक्ष द्वारा विजिटिंग विद्वानों की कक्षाओं/कार्य की समय सारिणी इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उपरोक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।
20. विजिटिंग विद्वानों के अध्यापन एवं न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के प्रकाश में विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
21. आवश्यकतानुसार इन निर्देशों की व्याख्या का अतिम अधिकार कुलसचिव, विभाग विश्वविद्यालय, उपर्युक्त को

क्रं. 01 विद्युत् विश्वविद्यालय, उज्जैन में बाह्य व्यक्तिओं/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारी/बैंकर/विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से व्याख्यान हेतु पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में विचार। उपर्युक्त विषय में प्रस्तुत है कि विश्वविद्यालय द्वारा उद्यमी विकास प्रकॉर्ड में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारियों/बैंकर आदि से व्याख्यान हेतु रु. 500/- प्रति व्याख्यान मानदेय एवं रु. 100/- वाहन भत्ते के रूप में भुगतान की राशि राक्षम स्वीकृत द्वारा भुगतान की जाती रही है। एम.ए. मासिक न्युनिकेशन में भी विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स से व्याख्यान कराये गये हैं।

अतः उद्यमी विकास प्रकॉर्ड एवं एम.ए. मासिक न्युनिकेशन पाठ्यक्रम में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारियों/बैंकर/विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से व्याख्यान हेतु रु. 500/- प्रति व्याख्यान मानदेय एवं रु. 100/- वाहन भत्ते के रूप में भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपत्रिका के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया गया कि, उद्यमी विकास प्रकॉर्ड एवं एम.ए. मासिक न्युनिकेशन पाठ्यक्रम में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारियों/बैंकर/विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से आवश्यक होने पर व्याख्यान हेतु रु. 500/- प्रति व्याख्यान मानदेय एवं रु. 100/- वाहन भत्ते के रूप में भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। (क्रियात्मक - प्रशासन एवं लेखा विभाग)

प्रकरण कार्याधी कार्यवाही हेतु प्रशासन विभाग की

1/11/11